



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  
INSURANCE REGULATORY AND  
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(बीमा दलाल) विनियम, 2018  
(Insurance Brokers) Regulations, 2018

पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र  
CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

अनुसूची 1 - फॉर्म एल  
(विनियम 14(8) देखें)  
Schedule I - Form L  
(See Regulation 14(8))

पंजीकरण संख्या Registration No.: 772

1. मेसर्स ..... डिजिटल इश्योरेंस गोवर्धन प्रा. लि. श्रेणी प्रत्यक्ष (जीवन एवं स्वास्थ्य)

दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 14 तथा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन इसके द्वारा नवीकृत किया जाता है।

The Certificate of Registration of M/s. Digital Insurance Broking Pvt. Ltd. Category Direct (Life & General) Broker is hereby renewed under Regulation 14 of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).

2. हैदराबाद में ..... 06 ..... दिन सितम्बर (माह) दो हजार ..... वॉलीय ..... को जारी किया गया।

Issued at Hyderabad on ..... 6<sup>th</sup> ..... day of ..... September ..... Two Thousand Twenty Four

3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र ..... 19.09.2024 ..... से ..... 13.09.2027 ..... तक विधिमन्य होगा।

This Certificate of Registration shall be valid from ..... 19.09.2024 ..... to ..... 13.09.2027

4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों का पालन करेगा।

This Certificate of Registration is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all the provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) the Rules or regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.

स्थान Place:

हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक Date:

06-09-2024

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से  
For Insurance Regulatory and Development Authority of India

आदेशानुसार  
By Order